

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा- 46(1) बी के तहत

आर. एम. वाद संख्या-एम०-100/2021-22

निर्मल कुमार महतो बनाम् चरण महतो

तारीख	आदेश	
1	2	3

10.02.2022

विक्रेता का नाम एवं पता- निर्मल कुमार महतो पिता-स्व० गोविन्द महतो
ग्राम-जाड़ेया, पो०-जाड़ेया, थाना-सोनाहातु,
जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेती ।

क्रेता का नाम एवं पता:- चरण महतो पिता-युगल महतो
ग्राम-मारचाडीह, पो०-एडरमहातु,
थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड)
जाति-कुरमी, पेशा-खेती ।

विद्वान अधिवक्ता का नाम:- श्री मनोज कुमार चौधरी

विक्रेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 23/12/2021 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत क्रेता चरण महतो पिता-युगल महतो ग्राम-मारचाडीह, पो०-एडरमहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेती के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

जमीन की विवरणी

मौजा-सालसूद, थाना-सोनाहातु, थाना सं०-35

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
112	1249	1.46 ए० मध्ये 0.6 ए०	उ०-गुरुचरण महतो, द०-उपेन्द्र नाथ महतो वगैरह पू०-रास्ता, प०-सृष्टीधर महतो वो दिनेश महतो

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी सोनाहातु का पत्रांक-30(11) दिनांक 18/01/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत है:-

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत मनमाली महतो वगैरह के नाम से दर्ज है।
2. खतियानी रैयत/पंजी- 11 रैयत के संबंध दादा-पोता का है।
3. पंजी- 11 के अनुसार रैयत परान महतो वगैरह के नाम पर दर्ज है।
4. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2021-2022 तक वसूली की गई है।
5. खतियानी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म है।
7. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा-1.64 एकड़ जमीन शेष रह जायगा।
8. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बिमारी ईलाज व मकान बनाने हेतु बिक्री कर रहे है।
9. क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य है एवं दोनों एक ही जिला के निवासी है।

10/0/2022

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत विक्रेता निर्मल कुमार महतो पिता-स्व० गोविन्द महतो ग्राम-जाड़ेया, पो०-जाड़ेया, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती को क्रेता चरण महतो पिता-युगल महतो ग्राम-मारचाडीह, पो०-एडरमहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 23/12/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता विक्रेता निर्मल कुमार महतो पिता-स्व० गोविन्द महतो ग्राम-जाड़ेया, पो०-जाड़ेया, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती को क्रेता चरण महतो पिता-युगल महतो ग्राम-मारचाडीह, पो०-एडरमहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 (1) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

जमीन की विवरणी

मौजा-सालसूद, थाना-सोनाहातु, थाना सं०-35

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
112	1249	1.46 ए० मध्ये 0.6 ए०	उ०-गुरुचरण महतो, द०-उपेन्द्र नाथ महतो वगैरह पू०-रास्ता, प०-सृष्टीधर महतो वो दिनेश महतो

लेखापित एवं सशोधित

10/02

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू।

10/02

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू।